वैज्ञानिक अनुसंधान अवसंरचना साझाकरण अनुरक्षण एवं नेटवर्क (श्रीमान) दिशानिर्देश

भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली

मई, 2022

वैज्ञानिक अनुसंधान अवसंरचना साझाकरण अनुरक्षण एवं नेटवर्क (श्रीमान) दिशानिर्देश

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली

मई, 2022

वैज्ञानिक अनुसंधान अवसंरचना साझाकरण अनुरक्षण एवं नेटवर्क (श्रीमान) दिशानिर्देश

1. प्रस्तावना

वैज्ञानिक अवसंरचना अनुसंधान और नवाचार की नींव है। इसलिए, वैज्ञानिक अनुसंधान अवसंरचना (आरआई) की उपलब्धता, पहुंच और साझाकरण की सुविधा को विशेष रूप से सीमित संसाधनों वाले देशों के लिए प्रमुख लक्ष्य बनाने की आवश्यकता है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित विकास को बढ़ावा दे सकता है और अनुसंधान के सामाजिक और आर्थिक परिणाम को बेहतर बना सकता है। इस प्राथमिकता को आरआई की पूंजी-गहन प्रकृति से चुनौती मिलती है, जो इसकी व्यापक पैमाने पर प्रतिकृति की व्यवहार्यता को कम करती है।

वित्तपोषण एजेंसियों, नीति निर्माताओं और वैज्ञानिकों को ऐसा नया दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है जो सभी हितधारकों के लिए आरआई उपलब्ध करा सके। इस प्रकार, भारत जैसे देश के लिए, वैज्ञानिक आरआई साझाकरण अनुरक्षण एवं नेटवर्क (श्रीमान) दिशानिर्देशों को अपनाना अनिवार्य हो जाता है जिनसे संबंधित हितधारकों का नेटवर्क बनाकर देश भर के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और उद्योग के पेशेवरों के लिए आरआई के कुशल उपयोग और व्यापक पहुंच को बढ़ावा मिल सकता है।

हाल के दिनों में, भारत में अनुसंधान उपकरणों के अधिग्रहण में वृद्धि देखी गई है। तथापि, आरआई का विकास और आवर्ती अनुरक्षण महंगा मामला है। यह चुनौती इस तथ्य को देखते हुए और बढ़ जाती है कि भारतीय अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र आयातित उपकरणों[1] पर अत्यधिक निर्भर है। इस तरह के अधिकांश उपकरणों को साझा नहीं किया जाता है और रखरखाव के मुद्दों और पुर्जों की कमी के कारण यह खराब हो जाते हैं जिससे आरआई लागत के बोझ में वृद्धि होती है। इसके अलावा, उपकरण तक पहुंच और उसके उचित उपयोग पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए, एक साझा तंत्र के विकास और संस्थानों एवं अन्य हितधारकों के बीच सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देने से आरआई का इष्टतम उपयोग और बेहतर रखरखाव संभव होगा। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी उपकरणों का निर्माण आवश्यक है। इसके अलावा, आरआई के संचालन और प्रबंधन के लिए मानव संसाधन विकास महत्वपूर्ण है।

2. उद्देश्य

[1] एनएसटीएमआईएस, डीएसटी द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि भारत में प्रयुक्त अनुसंधान उपकरणों में से 94% आयातित हैं जबकि केवल 6% का विनिर्माण स्वदेशी रूप से किया जाता है।

i. समुदाय के व्यापक एवं इष्टतम उपयोग के लिए बेहतर पहुंच एवं साझाकरण उपलब्ध कराके सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित वैज्ञानिक आरआई को मूल्यवान सार्वजनिक संसाधन के रूप में उपलब्ध कराना। वैज्ञानिक अनुसंधान उपकरण विनिर्माण के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना और घरेलू विनिर्माताओं को प्रोत्साहन देना।

ii. महंगे और अत्याधुनिक सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित आरआई को साझा करके सार्वजनिक व्यय की कारगरता में सुधार करना।

iii. महंगे वैज्ञानिक उपकरणों की खरीद में अनावश्यक दोहराव का परिहार करके अनुसंधान की लागत को कम करने के लिए आरआई के निर्माण और रखरखाव के लिए निगरानी तंत्र विकसित करना।

iv. वैज्ञानिक आरआई की खरीद, रखरखाव और निपटान के सरलीकृत और स्मार्ट तरीके सुनिश्चित करना।

3. दिशानिर्देशों का दायरा:

i. सभी सरकारी वैज्ञानिक विभाग, अनुसंधान संगठन और अनुदानग्राही एजेंसियां।

ii. सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग तथा उसके संगठन जो वैज्ञानिक आरआई के विकास को सहायता प्रदान करते हैं, वैज्ञानिक विभागों और कार्यनीतिक क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए वित्तपोषण प्रदान करने वाले या निधि प्राप्त करने वाले सरकारी संगठनों को छोड़कर।

iii. परस्पर सहमति के आधार पर निजी संस्थान भी ऐसे प्रयासों में साझीदार और/या लाभार्थी हो सकते हैं।

कार्यनीतिक विभाग जो अपनी स्वयं के अवसंरचना के लिए विवेकी प्राधिकारी होंगे, को छोड़कर, अपवादों का प्रावधान करने के साथ-साथ अनन्य और साझा करने योग्य अवसंरचना को परिभाषित करने का विवेकगत प्राधिकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के पास रहेगा।

4. दिशानिर्देशों के घटक:

4.1 सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना तक बेहतर पहुंच और साझाकरण

4.1.1 नेटवर्किंग और क्लस्टर दृष्टिकोण

अनुसंधान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और आरआई के दोहराव से बचने के लिए (जब तक कि वैज्ञानिक कारणों से विशेष रूप से आवश्यक न हो), अनुदान देने वाली एजेंसी स्थानीय स्तर पर अनुदान प्राप्त करने वाली एजेंसियों के बीच नेटवर्किंग को बढ़ावा देगी। पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर

निकट में स्थित अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों, निजी संस्थानों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों तथा एक ही विषय क्षेत्र से संबंधित उद्योगों के साथ एक संघ बनाया जा सकता है।

जब 25-30 किलोमीटर के दायरे में अनुदानग्राही एजेंसियों के संग्रह (क्लस्टर माना जा सकता है) को बड़ी संख्या में आरआई अनुदान दिए जाते हैं, तो अनुदान देने वाली एजेंसी/एजेंसियां **क्लस्टर सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन सुविधा (सीसीआईएफ)** के निर्माण को सुगम बनाएंगी। इससे न केवल क्लस्टर के भीतर उपकरण/आरआई की अतिरेकता में कमी होगी, बल्कि प्राप्त धनराशि से अधिक किस्मों के उपकरण प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी, जिससे पूरे क्लस्टर को लाभ होगा।

अनुदानप्रदाता एजेंसी/एजेंसियां निम्नलिखित में से किसी एक पद्धति में सीसीआईएफ का विकास करेंगी:

- राजस्व साझाकरण के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति
- अनुदानग्राही एजेंसी के भीतर सेवा की सुविधा
- लाभ न कमाने वाली (धारा 8) कंपनी

उचित वैज्ञानिक स्पष्टीकरण द्वारा समर्थित होने पर अनुदानग्राही एजेंसियों को दुबारा उपकरण की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। अलग-अलग संस्थानों के मामले में, जहां तक संभव हो, अनुदान देने वाली एजेंसी अनुदानग्राही एजेंसियों से आग्रह करेगी कि वे सभी महंगे उपकरणों को इंस्टीट्यूशनल सेंट्रल इंस्ड्रुमेंटेशन फैसिलिटी (आईसीआईएफ)[2] के तहत रखें। इसका संचालन और रखरखाव अनुदानग्राही एजेंसी में निहित होगा। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली उपभोग्य सामग्रियों के लिए एक क्षेत्रीय ग्रिड की सुविधा भी दी जा सकती है, जो क्षेत्र में प्रयोगशालाओं और संस्थानों के लिए उपभोग्य सामग्रियों की तेजी से खरीद में सहायता करेगी।

उद्योग, विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप्स को विकास, परीक्षण, मानकीकरण, प्रोटोटाइपिंग के लिए उच्च स्तरीय बुनियादी ढांचागत और सूचनात्मक संसाधनों तक आसानी से पहुंच की आवश्यकता होती है। इसके लिए आईआईटी, एनआईटी आदि जैसे ज्ञान संस्थानों में पर्याप्त संख्या में और प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने के लिए पेशेवर रूप से प्रबंधित, , उदाहरण के लिए, **परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थानों (एसएटीएचआई)**[3] की तर्ज पर स्वायत्त केंद्रों की स्थापना की आवश्यकता है।

---

[2] यदि नेमी, निवारक एवं मरम्मत अनुरंक्षण करने वाली कोई केंद्रीय इंस्ड्रुमेंटेशन सुविधा उपलब्ध न हो तो, यह वांछनीय होगा कि अनुदानग्राही एजेंसी के भीतर ऐसे संगठन का सृजन किया जाए ताकि अधिक संख्या में लोग महंगे के प्रयोग का लाभ ले सकें।

[3] साथी नामक डीएसटी की अनूठी योजना के देश में 3 केंद्र पहले ही स्थापित कर लिए गए हैं - आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली और बीएचयू में एक-एक। इनके अनुभव के आधार पर चार साल तक हर साल 5 साथी केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई जाएगी। इन केंद्रों में उच्च स्तरीय विश्लेषणात्मक परीक्षण की सामान्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रमुख विश्लेषणात्मक

4.1.2 प्रोत्साहन प्रदान करने के माध्यम से साझाकरण की संस्कृति का संवर्धन

एसटीआई पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संस्कृति परिवर्तन के रूप में आरआई को साझा करने को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों, उदाहरण के लिए व्यक्तिगत शोधकर्ता, संस्थान, क्लस्टर इत्यादि, पर प्रोत्साहन के लिए तंत्र स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) जैसे संगठन और अन्य जो शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हैं, इस पहलू को उचित महत्व दे सकते हैं।

आरआई तक पहुंच और साझाकरण के पहलू पर अनुदानग्राही एजेंसियों द्वारा श्रेणीकरण तैयारी तैयार की जा सकती है। अनुदानग्राही एजेंसियों द्वारा वित्तपोषण के संबंध में निर्णय लिए जाते समय इस श्रेणी को उपयुक्त महत्व दिया जा सकता है।

परियोजना अनुदान के माध्यम से या अन्यथा महंगी अनुसंधान अवसंरचना[4] प्राप्त करने वाली प्रत्येक अनुदानग्राही एजेंसी द्वारा इस आशय का विवरण देते हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे कि ऐसा आरआई साझा करने के लिए कब तक उपलब्ध हो जाएगा।

4.1.3 ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से अधिक पहुंच उपलब्ध कराना

महंगे आरआई के मामले में, किसी राष्ट्रीय पोर्टल या अन्य ऑनलाइन साधन के माध्यम से देश भर के शोधकर्ताओं तक पहुंच प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। अनुदान प्रदाता एजेंसियां महंगे आरआई का ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाए रखेंगी। इसे भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधा मानचित्र (आई-स्टेम), विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार हेतु साझाकृत आरआई (सृष्टि), शिक्षाजगत विश्वविद्यालय अनुसंधान संयुक्त सहयोग संभवकारी वैज्ञानिक अवसंरचना पहुंच (सहज), डीएसटी-ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (डीएसटी-टेरी) का एक्स्ट्राम्यूरल आरएंडडी परियोजनाओं के संबंध में उपकरण डाटाबेस, विज्ञान प्रसार की मेजबानी वाला भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन पोर्टल (आईएसटीआई) जैसे मौजूदा पोर्टलों और डाटाबेसों के साथ एकीकृत किया जाएगा।

4.1.4 मानव संसाधन का विकास

वैज्ञानिक आरआई के संबंध में चिंता के प्रमुख क्षेत्रों में से एक कुशल प्रचालकों की कमी होना है। इसलिए, अनुदानप्रदाता एजेंसियां **संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम** के माध्यम से प्रशिक्षित और प्रमाणित कर्मियों का पूल बनाने की योजना बनाएंगी। इन कार्यक्रमों में

उपकरण और उन्नत विनिर्माण सुविधाएं हैं, जिससे दोहरे प्रापण से बचा जा सकता है और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम की जा सकती है।

[4]. महंगी अनुसंधान अवसंरचना से आमतौर पर ऐसे उपकरण संदर्भित हैं जिनका मूल्य डीएसटी द्वारा विचार कि अध्यधीन 25 लाख रू. से अधिक हो।

आरआई के सैद्धांतिक, व्यावहारिक, समस्या निवारण और अनुरक्षण पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान देना सुनिश्चित किया जाएगा। इस तरह के प्रमाणपत्रों को प्रशिक्षुओं की भर्ती और करियर में प्रगति के दौरान मान्यता दी जाएगी।

प्रशिक्षित कर्मियों का एक डेटाबेस रखा जाएगा और उसे राष्ट्रीय आरआई पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। किसी भी अनुदान की शुरुआत में, अनुदान देने वाली एजेंसी यह सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेटरों के क्षमता निर्माण संबंधी योजना हेतु अनुरोध करेगी कि ऑपरेटर नवीनतम तकनीकों से परिचित हों और आरआई को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में सक्षम हों। यदि आवश्यक हो, तो ऑपरेटरों के कौशल उन्नयन के लिए संसाधनों का अतिरिक्त आवंटन किया जा सकता है। एक्सीलरेट विज्ञान[5] जैसे कार्यक्रम उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समर्थन और डेटाबेस के विकास में मदद करेंगे।

4.1.5 इंस्ट्रुमेंटेशन का विषय-वस्तु के रूप में रूपांतरण

अनुदान देने वाली एजेंसियां पूर्वनिर्धारित शैक्षणिक संस्थानों, विशेष रूप से आईआईटी और एनआईटी में एक विषय के रूप में इंस्ट्रूमेंटेशन को मजबूत करने का भी प्रयास करेंगी और इस विषय को अभ्यास और अंतिम उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगी। प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान जहां इंस्ट्रूमेंटेशन का अनुशीलन किया जा रहा है, कौशल निर्माण के लिए जनादेश के साथ ऑपरेटरों की क्षमता निर्माण के लिए नोडल एजेंसियां बन जाएंगे। अपेक्षित है कि वे इस कार्यक्षेत्र में स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देंगे। उच्च स्तरीय अनुसंधान हेतु अनुकूलित समर्थन के लिए अत्यधिक कुशल तकनीकी पेशेवरों को तैयार करने और उनका दोहन करने के प्रयास किए जाएंगे। अनुसंधान एवं विकास के लिए कुशल तकनीकी/समर्थनप्रदाता पेशेवरों के संवर्ग के लिए दीर्घावधि कैरियर मार्ग निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

4.1.6 बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) संबंधी मुद्दे

अनुदानग्राही एजेंसी के संगठन के भीतर या बाहर आरआई की सुविधा का लाभ उठाने वाले व्यक्तिगत शोधकर्ताओं का अपने आईपी पर पूर्ण अधिकार होगा। केवल पहुंच प्रदान करके और आरआई साझा करके, कोई अनुदानग्राही एजेंसी व्यक्तिगत शोधकर्ताओं द्वारा किए गए कार्य पर किसी आईपीआर का दावा नहीं कर सकती है। हालांकि, शोधकर्ताओं को आरआई तक पहुंचने और साझा करने से प्राप्त होने

[5] एक्सीलरेट विज्ञान एस एंड टी बुनियादी ढांचे के प्रभावी उपयोग और रखरखाव के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी जनशक्ति के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का समर्थन करने पर अधिक बल देने के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) द्वारा शुरू की गई योजना है। इसके दो घटक हैं, अभ्यास और सम्मोहन। कार्यक्रम का उद्देश्य कुशल जनशक्ति का डेटाबेस बनाना है और वैज्ञानिक समुदाय की वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी के किसी एक घटक पर भी ध्यान केंद्रित करना है।

वाले लाभ को विधिवत स्वीकार करना चाहिए।

4.2 सार्वजनिक वैज्ञानिक अनुसंधान अवसंरचना का अधिक समझदारीपूर्ण प्रापण, अनुरक्षण और निपटान

4.2.1. सरकारी ई- बाजार स्थल (जीईएम) और स्वैच्छिक सलाहकार निकाय

वित्तपोषक एजेंसियां जीईएम में उपलब्ध वस्तुओं के लिए एक नीति के रूप में जीईएम के माध्यम से प्रापण को बढ़ावा देंगी। वित्तपोषक एजेंसियां आरआई के विशिष्ट डोमेन पर स्वैच्छिक सलाहकार निकायों (वीएबी) का गठन करेंगी जिसमें शोधकर्ता, व्यवसायी और प्रापण विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रत्येक अनुदानग्राही एजेंसी को विशिष्टता, उपयुक्तता, आरआई की लागत और प्रापण संबंधी गतिविधियों जैसे मुद्दों पर सहायता के लिए वीएबी की मदद लेनी चाहिए। इसके अलावा, वित्तपोषक एजेंसियों और वीएबी को समग्र मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति की स्थापना की जाएगी। आरआई के प्रापण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, प्रापण विवरण का एक डेटाबेस जिसमें मूल्य, विनिर्देश, सहायक उपकरण आदि शामिल हैं, बनाए रखा जाएगा और यह डेटा उन संस्थानों/वैज्ञानिकों को उपलब्ध कराया जाएगा जिनकी परियोजनाएँ सार्वजनिक निधि द्वारा समर्थित हों।

4.2.2. अनुसंधान अवसंरचना का उत्पादक जीवन निर्धारित करना

उचित समय/उत्पादक जीवन के लिए आरआई की खरीद और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए उचित योजना बनाई जाएगी। महँगे आरआई के लिए, अनुदान प्राप्तकर्ता एजेंसी के भीतर एक समिति द्वारा उत्पादक जीवन निर्धारित किया जा सकता है। खरीद के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक संस्थान/संगठन के खरीद सेल में विशेषज्ञों को शामिल करना चाहिए और/या वीएबी से सहायता लेनी चाहिए।

4.3 अनुसंधान अवसंरचना और ऑपरेटरों के रखरखाव के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करना

उपकरण/आरआई के उत्पादक जीवन का उपयोग करने के लिए, सभी अनुदानों में निम्नलिखित घटक होंगे:

i. आरआई अधिग्रहण लागत

ii. परियोजना की अवधि (परियोजना अनुदान के लिए) के बाद कम से कम 2 वर्षों के लिए आरआई की रखरखाव लागत या उचित समयावधि (अन्य अनुदानों के लिए) के लिए इसे बनाए रखने का प्रावधान।

iv. ऑपरेटरों की लागत।

iv. उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से आरआई के उत्पादक जीवन पर संभावित शुल्क एकत्र किया जाएगा।

4.4 कुशल रखरखाव और निपटान Smarter Maintenance and Disposal

इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन के एक अच्छे अभ्यास के रूप में, आरआई के लिए प्रत्येक अनुदानग्राही एजेंसी द्वारा एक प्रलेखित रखरखाव रणनीति विकसित की जाएगी। अनुदानग्राही एजेंसी आवश्यकता और उपयोग की प्रकृति के आधार पर इन-हाउस रखरखाव टीम मॉडल या आउटसोर्स मॉडल अपना सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन को पेशेवर रूप से आयोजित किया जाना चाहिए और ऑपरेशन के समय को कम करने और आरआई तक पहुंच को चौड़ा करने के लिए आंतरिक हितधारकों की क्षमता विकसित की जानी चाहिए। महंगी आरआई के लिए, प्रदर्शन, दूरस्थ निदान और मरम्मत के उद्देश्य से दूरस्थ पहुंच और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम रखरखाव प्रथाओं को शामिल करना होगा। पहले से मौजूद आरआई के रखरखाव का समर्थन करने वाली परियोजनाओं की एक अलग श्रेणी बनाना उपयुक्त होगा जो प्रभावी उपयोग में हैं। यह नए आरआई की खरीद की आवश्यकता को कम करेगा और पुराने उपकरणों को अनाथ होने से रोकेगा। जहां भी आवश्यक हो, अनुदान प्राप्त करने वाली एजेंसियों को सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 दिशानिर्देशों[6] के अनुसार आरआई को उनके उत्पादक जीवन से परे निपटाने की आवश्यकता होगी।

4.5 घरेलू उपकरण उद्योग को बढ़ावा देना

भारत सरकार भी घरेलू विनिर्माताओं को प्रोत्साहित कर स्वदेशी आरआई को बढ़ावा देगी। अनुदान देने वाली एजेंसी स्वदेशी आरआई का उपयोग करने के लिए भारतीय शोधकर्ताओं को प्रभावित करने के लिए एक समर्थन तंत्र स्थापित करने का प्रयास करेगी। अनुदान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को स्वदेशी उपकरण निर्माण, क्षमता विकास और रखरखाव को सक्षम करने के लिए स्टार्ट अप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आरआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, विक्रेताओं के साथ विश्वास को बढ़ावा देना अत्यावश्यक है।

5. कानूनी कार्यढांचा

वैज्ञानिक उपकरण अनुदान देने वाली एजेंसी की संपत्ति बने रहेंगे। हालांकि, परिचालन संबंधी कारणों से वास्तविक स्वामित्व उस अनुदानग्राही एजेंसी के पास होगा जिसके पास सुविधा है। इन दिशानिर्देशों के तहत आरआई तक पहुंच भारत सरकार के किसी भी अधिनियम और नियमों का उल्लंघन नहीं होगी। इन दिशानिर्देशों के कानूनी ढांचे को आरआई को कवर करने वाले विभिन्न अधिनियमों और नियमों के

[6] https://doe.gov.in/sites/default/files/GFR2017_0.pdf

साथ जोड़ा जाएगा।

6. कार्यान्वयन

डीएसटी के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की देखभाल के लिए एक विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) या निकाय/एजेंसी बनाने की परिकल्पना की गई है। यह निकाय या तो डीएसटी में या डीएसटी द्वारा या पीपीपी मोड में अच्छी तरह से वित्तपोषित संस्थान के भीतर बनाया जा सकता है।

i. यह निकाय/एजेंसी श्रीमान के सुचारू और निर्बाध कार्यान्वयन की देखरेख करेगी और देश में वर्तमान आर्थिक और वैज्ञानिक परिवर्तनों का उचित संज्ञान लेते हुए समय-समय पर उपयुक्त दिशानिर्देश विकसित करेगी। इसके आगे एक सलाहकार समिति/बोर्ड होगा जिसमें डीएसटी और अन्य वैज्ञानिक विभागों[7] सहित विविध हितधारक शामिल होंगे।

ii. एसपीवी या निकाय मुख्य रूप से आरआई पर राष्ट्रीय पोर्टल के प्रबंधन को देखेगा जिसकी परिकल्पना दिशानिर्देशों में की गई है। यह पोर्टल उपयोगकर्ताओं को देश भर से आरआई के लिए समय स्लॉट आरक्षित करने में सक्षम करेगा। यह ऑनलाइन टूल के माध्यम से उपयोग शुल्क के संग्रह और अनुसंधान कार्य की रिमोट ट्रैकिंग की भी अनुमति देगा। डीएसटी के परामर्श से निकाय आरआई के विक्रेताओं के प्रदर्शन और विभिन्न हितधारकों की संतुष्टि को पकड़ने के लिए एक पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ विक्रेता रेटिंग प्रणाली के साथ आएगा। पोर्टल में स्वचालित कार्यप्रवाह के साथ एक शिकायत निवारण तंत्र होगा। यह अंतर-मंत्रालयी समन्वय और हितधारक जुड़ाव की सुविधा भी प्रदान करेगा।

iii. ऑनलाइन पोर्टल आरआई के निष्क्रिय समय के दौरान स्लॉट की बुकिंग की अनुमति देगा (अनुदानग्राही एजेंसी को उचित वरीयता के बाद)। शोधकर्ताओं पर रखरखाव और संचालन लागत के लिए उचित शुल्क लगाया जा सकता है। उद्योग के शोधकर्ताओं को उचित शुल्क जमा करके भी पहुंच प्रदान की जा सकती है। गैर-गंभीर उपयोगकर्ताओं को दूर रखने के लिए आरआई की समयावधि को अवरुद्ध करते समय शुल्क का एक हिस्सा लगाया जा सकता है। यह शुल्क (आंशिक या पूर्ण रूप से) भले ही केंद्रीय रूप से एकत्र किया गया हो, अनुदान प्राप्तकर्ता एजेंसी को नियत समय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और बेहतर रखरखाव और क्षमता निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसी जो इस ऑनलाइन तंत्र का प्रबंधन करेगी, मामूली सुविधा शुल्क भी लगा सकती है। शुल्क संरचना विकसित करने का तंत्र डीएसटी द्वारा तय किया जाएगा। जहां तक संभव हो, अनुदानग्राही एजेंसी के परिसर में शोधकर्ता की भौतिक उपस्थिति को

[7] वैज्ञानिक विभागों की एक अस्थायी सूची इसके साथ संलग्न है। सूची केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है।

कम से कम किया जाएगा और ऑनलाइन उपकरणों के माध्यम से शोध कार्य की प्रगति को ट्रैक करने के लिए शोधकर्ता को पर्याप्त मूल्यांकन तंत्र के साथ सहायता प्रदान की जाएगी।

iv. एसपीवी या निकाय देश भर में समान उपकरणों के लिए उपयोगकर्ता शुल्क को युक्तिसंगत और सुसंगत बनाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उत्पन्न राजस्व का इष्टतम उपयोग किया जाए और यह कि संस्थान हिंसक मूल्य निर्धारण में लिप्त न हों।

v. निकाय राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए आरआई के क्षमता निर्माण और जागरूकता/प्रचार को बढ़ावा देगा।

vi. निकाय प्रमुख प्रौद्योगिकी डोमेन के विशेषज्ञों वाले स्वैच्छिक सलाहकार समूहों के निर्माण को सक्षम करेगा।

7. आगे का मार्ग

श्रीमान दिशानिर्देशों को अपनाने से सरकारी प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक उपकरणों को आकर्षक संपत्ति में बदल दिया जाएगा जिससे एक स्थिर किराये की आय होगी और इस प्रकार आरआई के एक कुशल और टिकाऊ साझाकरण, रखरखाव और निपटान तंत्र को सक्षम किया जा सकेगा। इसका कार्यान्वयन सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित वैज्ञानिक आरआई की व्यापक पहुंच और विशेष रूप से छोटे शहरों, कस्बों और भारत के भीतरी इलाकों में साझा करने के लिए सही दिशा में एक कदम होगा। यह देश के वैज्ञानिक उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि करेगा और कई कम प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में शोधकर्ताओं को सक्षम करेगा जो महंगी आरआई को वहन नहीं कर सकते, वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक सार्थक योगदान करने के लिए। आगे चलकर श्रीमन गाइडलाइन्स की सफलता से इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर प्रबंधन, महंगे आरआई के राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण और आरआई के लिए अत्यधिक कुशल तकनीकी ऑपरेटरों के राष्ट्रीय कैडर का निर्माण होगा। ये दिशानिर्देश भारत की खुली विज्ञान दृष्टि के साथ अच्छी तरह से मेल खाते हैं और हमारे देश को खुले विज्ञान ढांचे[8] को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। इन दिशानिर्देशों को वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व दिशानिर्देशों[9] के साथ भी जोड़ा जाएगा।

---

[8] https://dst.gov.in/sites/default/files/STIP_Doc_1.4_Dec2020.pdf

[9] वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व दिशानिर्देश (2022) सेवा और जागरूक पारस्परिकता की भावना से समाज में हितधारकों के व्यापक स्पेक्ट्रम के लिए स्वेच्छा से अपने ज्ञान और संसाधनों का योगदान करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में ज्ञान श्रमिकों का एक नैतिक दायित्व प्रदान करते हैं।

पारिभाषिक शब्दावली

- **अनुसंधान अवसंरचना-** अनुसंधान करने के लिए वैज्ञानिक समुदाय द्वारा उपयोग की जाने वाली सुविधाएं, संसाधन और सेवाएं।
- **अवसंरचना प्रबंधन-** इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किसी विशेष संगठन या संस्थान में रखे गए विभिन्न संसाधनों, लोगों और उपकरणों का प्रबंधन और रखरखाव।
- **अनुदानग्राही एजेंसी-** एक संगठन जो भारत सरकार से धन प्राप्त करता है।
- **अनुदान प्रदाता एजेंसी/वित्त पोषक एजेंसी** - एक संगठन जो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए धन आवंटित करता है।

परिशिष्ट

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रमुख मंत्रालयों, विभागों और उनके स्वायत्त संस्थानों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मुद्दों से निपटने वाली एजेंसियों की सांकेतिक सूची

क. भारत सरकार की स्वायत्त एजेंसियां

1.	नीति आयोग
2.	प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय

ख. परमाणु ऊर्जा विभाग

1.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च
2.	साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स
3.	टाटा मेमोरियल सेंटर
4.	हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान
5.	भौतिकी संस्थान
6.	राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान
7.	गणितीय विज्ञान संस्थान
8.	प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान
9.	होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान
10.	परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी
11.	परमाणु विज्ञान में अनुसंधान बोर्ड (बीआरएनएस)
12.	उच्च गणित के लिए राष्ट्रीय बोर्ड (NBHM)
13.	मुंबई विश्वविद्यालय-डीएई सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज

ग. अंतरिक्ष विभाग

1.	विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी)
2.	तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र (LPSC)

3.	सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC-SHAR)
4.	ISRO सैटेलाइट सेंटर (ISAC)
5.	अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (एसएसी)
6.	नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC)
7.	इसरो जड़त्वीय प्रणाली इकाई (आईआईएसयू)
8.	विकास और शैक्षिक संचार इकाई (डेकू)
9.	मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी (MCF), हसन।
10.	इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क (आईएसटीआरएसी), बैंगलोर।
11.	इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स सिस्टम प्रयोगशाला (एलईओएस), बैंगलोर।
12.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग (आईआईआरएस), देहरादून।
13.	भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल), अहमदाबाद।
14.	राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएआरएल), गढ़ंकी।
15.	उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (NE-SAC), उमियम।
16.	सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल), मोहाली।
17.	भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (IIST), तिरुवनंतपुरम - भारत का अंतरिक्ष विश्वविद्यालय।
18.	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL), बैंगलोर।
19.	भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस)

घ. जैवप्रौद्योगिकी विभाग

(i) स्वायत्त संस्थान

1	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी
2	नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस
3	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र
4	सेंटर फॉर डीएनए फ़िंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स [सीडीएफडी]
5	राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान
6	इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज
7	जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान (आईबीएसडी)
8	राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी

9	इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन (इनस्टेम)
10	ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट
11	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स
12	रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी
13	राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान
14	राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएबी)
15	CIAB (पूर्व में बायो-प्रोसेसिंग यूनिट)
16	इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी

(ii) **पीएसयू**

1	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन
2	इंडियन वैक्सीन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IVCOL)
3	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी)

ङ. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

(iii) स्वायत्त संस्थान

1	आगरकर शोध संस्थान
2	आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान
3	बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान
4	बोस संस्थान
5	सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज
6	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स
7	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म
8	पाउडर धातुकर्म और नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र
9	इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी
10	इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस

11	राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान
12	जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बैंगलोर
13	रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैंगलोर
14	एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता
15	श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी
16	विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी
17	प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (टीआईएफएसी)
18	प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और पहुंच के लिए उत्तर पूर्व केंद्र (NECTAR)
19	वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून
20	विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली

(i) **सांविधिक निकाय**

1	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड
2	विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी)

च. वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विभाग (वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी परिषद)

1	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)
2	सीएसआईआर-उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एएमपीआरआई), भोपाल
3	सीएसआईआर-केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीबीआरआई), रुड़की
4	सीएसआईआर-सेंटर फॉर सेल्युलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (सीएसआईआर-सीसीएमबी), हैदराबाद
5	सीएसआईआर-केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीडीआरआई), लखनऊ
6	सीएसआईआर-सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसआईआर-सीईसीआरआई), कराईकुडी
7	सीएसआईआर-सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसआईआर-सीरी), पिलानी
8	सीएसआईआर-केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीएफटीआरआई), मैसूर
9	सीएसआईआर-सेंट्रल ग्लास सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसआईआर-सीजीसीआरआई),

	कोलकाता
10	सीएसआईआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमैटिक प्लांट्स (सीएसआईआर-सीआईएमएपी), लखनऊ
11	सीएसआईआर-केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीआईएमएफआर) धनबाद
12	सीएसआईआर-केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीएलआरआई), चेन्नई
13	सीएसआईआर-सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसआईआर-सीएमईआरआई), दुर्गापुर
14	सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीआरआरआई), नई दिल्ली
15	सीएसआईआर-केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सीएसआईआर-सीएसआईओ), चंडीगढ़
16	सीएसआईआर-केंद्रीय नमक समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई), भावनगर
17	सीएसआईआर चौथा प्रतिमान संस्थान (सीएसआईआर-4पीआई), बेंगलुरु
18	सीएसआईआर-जीनोमिक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी संस्थान (सीएसआईआर-आईजीआईबी), दिल्ली
19	सीएसआईआर-हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-आईएचबीटी), पालमपुर
20	सीएसआईआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी (सीएसआईआर-आईआईसीबी), कोलकाता
21	सीएसआईआर-भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-आईआईसीटी), हैदराबाद
22	सीएसआईआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन (सीएसआईआर-आईआईआईएम), केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर
23	सीएसआईआर-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (सीएसआईआर-आईआईपी), देहरादून
24	सीएसआईआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च (सीएसआईआर-आईआईटीआर), लखनऊ
25	सीएसआईआर-खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-आईएमएमटी),

	भुवनेश्वर
26	सीएसआईआर-माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी संस्थान (सीएसआईआर-आईएमटेक), चंडीगढ़
27	सीएसआईआर-नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज (सीएसआईआर-एनएएल), बेंगलुरु
28	सीएसआईआर-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनबीआरआई), लखनऊ
29	सीएसआईआर-राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (सीएसआईआर-एनसीएल), पुणे
30	सीएसआईआर-राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-नीरी), नागपुर
31	सीएसआईआर-नॉर्थ - ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (सीएसआईआर-एनईआईएसटी), जोरहाट
32	सीएसआईआर-राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनजीआरआई), हैदराबाद
33	सीएसआईआर-राष्ट्रीय अंतःविषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-एनआईआईएसटी), तिरुवनंतपुरम
34	सीएसआईआर-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (सीएसआईआर-एनआईओ), गोवा
35	सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार और सूचना संसाधन संस्थान (सीएसआईआर-निस्केयर), नई दिल्ली
36	सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान (सीएसआईआर-निस्टैड्स), नई दिल्ली
37	सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (सीएसआईआर-एनएमएल), जमशेदपुर
38	सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (सीएसआईआर-एनपीएल), नई दिल्ली
39	सीएसआईआर-स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर (सीएसआईआर-एसईआरसी), चेन्नई
40	सीएसआईआर-यूनिट: ओपन-सोर्स ड्रग डिस्कवरी (सीएसआईआर-ओएसडीडी), नई दिल्ली
41	सीएसआईआर-यूनिट: पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (सीएसआईआर-टीकेडीएल), नई दिल्ली
42	सीएसआईआर-यूनिट: मानव संसाधन विकास केंद्र (सीएसआईआर-एचआरडीसी), गाजियाबाद
43	सीएसआईआर-यूनिट: सूचना उत्पादों के अनुसंधान और विकास के लिए यूनिट

	(सीएसआईआर-यूआरडीआईपी), पुणे
44	सीएसआईआर मद्रास कॉम्प्लेक्स (सीएसआईआर-सीएमसी), चेन्नई

छ. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

1.	तटीय अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केंद्र
2.	भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान
3.	भारत मौसम विज्ञान विभाग
4.	भूकंप विज्ञान के लिए राष्ट्रीय केंद्र
5.	महासागर सूचना सेवाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय केंद्र
6.	मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान के लिए राष्ट्रीय केंद्र
7.	अंटार्कटिक और महासागर अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केंद्र
8.	राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान
9.	भूकंप जोखिम मूल्यांकन केंद्र (वायुमंडलीय विज्ञान और भूकंप विज्ञान क्षेत्र के तहत)
10.	भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र
11.	समुद्री जीवित संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र (महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के तहत)
12.	पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के लिए राष्ट्रीय केंद्र

ज. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)

-

1	आईसीएआर-सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोर्ट ब्लेयर
2	आईसीएआर-केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर
3	आईसीएआर-सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर
4	आईसीएआर-केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर
5	आईसीएआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ब्रैकिशवाटर एक्वाकल्चर, चेन्नई

6	भाकृअनुप-केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार
7	आईसीएआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, मखदूम
8	आईसीएआर-केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल
9	आईसीएआर-केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर
10	आईसीएआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, नागपुर
11	आईसीएआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, कोचीन
12	आईसीएआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेशवाटर एक्वाकल्चर, भुवनेश्वर
13	आईसीएआरसेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी-, मुंबई
14	आईसीएआरसेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर-, लखनऊ
15	आईसीएआरसेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर-, श्रीनगर
16	आईसीएआरसेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी-, लुधियाना
17	आईसीएआरकेंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान-, कोच्चि
18	आईसीएआर सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च-इंस्टीट्यूट, कासरगोड
19	आईसीएआरकेंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान-, शिमला
20	आईसीएआरकेंद्रीय जूट और संबद्ध फाइबर अनुसंधान संस्थान-, बैरकपुर
21	आईसीएआरकेंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान-, हैदराबाद
22	आईसीएआरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान-, कटक
23	आईसीएआरकेंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान-, अविकानगर, राजस्थान
24	आईसीएआरभारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान -, देहरादून
25	आईसीएआरकेंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान-, करनाल
26	आईसीएआरकेंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान-, राजमुंदरी
27	आईसीएआर केंद्रीय-कंद फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेंद्रम
28	पूर्वी क्षेत्र, पटना के लिए आईसीएआरआईसीएआर अनुसंधान परिसर-

29	एनईएच क्षेत्र के लिए आईसीएआरआईसीएआर अनुसंधान परिसर-, बारापानी
30	आईसीएआरकेंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान-, इला, ओल्ड गोवा, गोवा
31	आईसीएआर भारतीय-कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
32	आईसीएआरइंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट-, झांसी
33	आईसीएआर-भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची
34	आईसीएआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, बेंगलुरु
35	आईसीएआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स, रांची
36	आईसीएआर-भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर
37	आईसीएआर-भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल
38	आईसीएआर-भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट
39	आईसीएआर-भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
40	आईसीएआर-भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी
41	आईसीएआर-राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी, हैदराबाद
42	आईसीएआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, रायपुर
43	आईसीएआर-राष्ट्रीय अजैविक तनाव प्रबंधन संस्थान, मालेगांव, महाराष्ट्र
44	आईसीएआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, बेंगलुरु
45	आईसीएआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी, कोलकाता
46	आईसीएआर-राष्ट्रीय पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान और रोग सूचना विज्ञान संस्थान, हेब्बल, बेंगलुरु
47	आईसीएआर-गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर
48	आईसीएआर-विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा
49	आईसीएआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, मेरठ, उत्तर प्रदेश
50	आईसीएआर-राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, भोपाल

51	आईसीएआर-भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
52	आईसीएआर- केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, झांसी
53	आईसीएआर-राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
54	आईसीएआर- भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल
55	आईसीएआर- भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, मोदीपुरम
56	आईसीएआर- भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद
57	आईसीएआर- भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद
58	आईसीएआर- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, पेडवेगी, पश्चिम गोदावरी
59	आईसीएआर- भारतीय जल प्रबंधन संस्थान, भुवनेश्वर
60	आईसीएआर-भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद
61	आईसीएआर- कृषि में महिलाओं के लिए केंद्रीय संस्थान, भुवनेश्वर
62	आईसीएआर-सेंट्रल साइट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर
63	आईसीएआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड रिसर्च, मऊ
64	आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, झारखंड

झ. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद)

1	कुष्ठ रोग और अन्य माइकोबैक्टीरियल रोगों के लिए आईसीएमआर राष्ट्रीय जालमा संस्थान, आगरा
2	आईसीएमआर राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद
3	आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, बेलगावी
4	आईसीएमआर क्षेत्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र (दक्षिणी) - NIOH, बेंगलुरु
5	आईसीएमआर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च, बेंगलुरु
6	आईसीएमआर भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर BMHRC, भोपाल
7	आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एनवायर्नमेंटल हेल्थ, भोपाल

8	आईसीएमआर क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, भुवनेश्वर
9	आईसीएमआर सेंटर फॉर रिसर्च, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज - एनआईआईएच, चंद्रपुर
10	आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस, चेन्नई
11	आईसीएमआर राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान, चेन्नई
12	आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी, दिल्ली
13	आईसीएमआर राष्ट्रीय चिकित्सा सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली
14	आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, दिल्ली
15	आईसीएमआर क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, डिब्रूगढ़
16	आईसीएमआर क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र गोरखपुर
17	बायोमेडिकल रिसर्च के लिए आईसीएमआर नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी (एनएआरएफबीआर), हैदराबाद
18	आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद
19	आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ, जबलपुर
20	गैर-संचारी रोगों पर आईसीएमआर कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर
21	आईसीएमआर क्षेत्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र (पूर्वी) - एनआईओएच, कोलकाता
22	आईसीएमआर राष्ट्रीय हैजा और आंत्र रोग संस्थान, कोलकाता
23	आईसीएमआर - सेंटर फॉर रिसर्च इन मेडिकल एंटोमोलॉजी - वीसीआरसी, मदुरै
24	आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी, मुंबई
25	आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मुंबई
26	आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च (NICPR), नोएडा
27	आईसीएमआर राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पटना
28	आईसीएमआर क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, पोर्ट ब्लेयर
29	आईसीएमआर वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर, पुडुचेरी

30	आईसीएमआर राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान
31	आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी

ञ. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरूद्धार मंत्रालय

1	केंद्रीय भूजल बोर्ड
2	केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र
3	केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र
4	केंद्रीय जल आयोग
5	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की
6	जल और भूमि प्रबंधन के उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएलएम)

ट. इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)
2.	उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (सी-डैक)
3.	इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र (C-MET)
4.	कंप्यूटर नेटवर्किंग में शिक्षा और अनुसंधान (ERNET)
5.	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT - पूर्व में DOEACC सोसायटी)
6.	सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (समीर)
7.	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI)

ठ. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

1	राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई), गुरुग्राम, हरियाणा
2	राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) चेन्नई, तमिलनाडु।
3	सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा संस्थान (SSS-NIBE कपूरथला (पंजाब)।
4	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA
6	भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI)

ड. शिक्षा मंत्रालय: (उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान)

(i) ***भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान***

1	आईआईटी (भू) वाराणसी
2	आईआईटी (आईएसएम) धनबाद
3	आईआईटी भिलाई
4	आईआईटी भुबनेश्वर
5	आईआईटी बॉम्बे
6	आईआईटी दिल्ली
7	आईआईटी धारवाड़
8	आईआईटी गांधीनगर
9	आईआईटी गोवा
10	आईआईटी गुवाहाटी
11	आईआईटी हैदराबाद
12	आईआईटी इंदौर
13	आईआईटी जम्मू
14	आईआईटी जोधपुर
15	आईआईटी कानपुर
16	आईआईटी खड़गपुर
17	आईआईटी मद्रास
18	आईआईटी मंडी
19	आईआईटी पलक्कड़
20	आईआईटी पटना
21	आईआईटी रुड़की
22	आईआईटी रोपड़
23	आईआईटी तिरुपति
24	आईआईएससी बैंगलोर

(ii) ***भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान***

1	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, बेरहामपुर
2	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल
3	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
4	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली
5	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुणे
6	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम
7	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरुपति

(iii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

1	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला
2	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मिजोरम
3	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद
4	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,भोपाल
5	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट
6	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
7	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागालैंड
8	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर
9	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड
10	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा
11	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर
12	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मणिपुर
13	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर
14	डॉ बी आर अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर
15	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर
16	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पुडुचेरी
17	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र
18	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सुरथकल
19	विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागपुर

20	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना
21	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर
22	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय
23	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर
24	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिक्किम
25	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर
26	एस वी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सूरत
27	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश
28	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली
29	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल
30	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश

(iv) ***राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान***

1	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, अहमदाबाद
2	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, गुवाहाटी
3	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हाजीपुर
4	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद
5	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता
6	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली
7	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, रायबरेली

(v) ***भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान***

1	एबीवी-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान (एबीवी-आईआईआईटीएम)
2	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)

3	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, डिजाइन और विनिर्माण (IIITDM) कांचीपुरम, चेन्नई
4	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान (IIITDM), जबलपुर
5	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, डिजाइन और विनिर्माण (IIITDM) कुरनूल, आंध्र प्रदेश
6	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान चितूर
7	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी
8	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी
9	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना
10	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा
11	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोटा
12	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली
13	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत
14	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर
15	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ
16	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोट्टायम, केरल
17	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़
18	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे
19	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
20	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
21	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर
22	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची, झारखंड
23	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत
24	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर
25	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रायचूर कर्नाटक

(vi) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता संस्थान

1	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)
2	केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान (CIET)
3	केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (CTSA)
4	केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS)
5	राष्ट्रीय बाल भवन
6	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)
7	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस)
8	नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)
9	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई)

(vii) केंद्रीय विश्वविद्यालय

क्र.सं.	राज्य	केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम
1	आंध्र प्रदेश	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, आईटी इनक्यूबेशन सेंटर बिल्डिंग, जेएनटीयू कैंपस, चिन्मयनगर, अनंतपुरम, आंध्र प्रदेश- 515002
2		सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ़ आंध्र प्रदेश, कोंडाकरकम, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश 535008
3		राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति, आंध्र प्रदेश
4	असम	असम विश्वविद्यालय, पीओ: असम विश्वविद्यालय, सिलचर - 788 011।
5		तेजपुर विश्वविद्यालय, नपाम, सोनितपुर, असम-784 028।
6	अरूणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, पी.ओ. दोईमुख, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश - 791 112।
7	बिहार	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, एसएच-7, गया-पंचनपुर रोड, गांव-करहरा, पोस्ट-फतेहपुर, पी.एस. - टेकरी, जिला- गया, बिहार - 824236।
8		

9		डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर - 848 125, बिहार
10		महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, पी.ओ. बॉक्स नंबर 1, मोतिहारी, जिला- पूर्वी चंपारण, बिहार- 845 401
11	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, मुख्य परिसर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़- 495 009
12	दिल्ली	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली - 110 068.
13		जामिया मीलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली – 110 025.
14		जवाहरलाल नेहरू विश्वलिद्यालय, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली- 110 067.
15		श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, कटवारिया सराय, नई दिल्ली
16		साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, अकबर भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली- 110 021.
17		केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
18		दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली- 110 007.
19	गुजरात	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, निकट जलराम मंदिर, सेक्टर- 29, गांधीनगर - 382 029.
20	हरयाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, जांत-पाली ग्राम, महेंद्रगढ़, हरियाणा – 123 029
21	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, पीओ बॉक्स 21, धर्मशाला, जिला- कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश - 176 215
22	जम्मू एवं कश्मीर	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ट्रांजिट कैंपस: सोनवार, जीबी पंत अस्पताल के पास, श्रीनगर- 190 005 (जम्मू और कश्मीर)
23		केंद्रीय जम्मू विश्वविद्यालय, बागला (रहया-सुचानी), जिला सांबा, जम्मू- 181 143 (जम्मू और कश्मीर)
24	झारखण्ड	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, रातू-लोहरदगा रोड, ब्रांबे, रांची- 835

		205, झारखंड
25	कर्नाटक	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, कदगांची, अलंड रोड, अलंद तालुक, गुलबर्गा- 585 311, कर्नाटक
26	केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, तेजस्विनी हिल्स, पेरिये (पीओ), कासरगोड, केरल- 671316
27	मध्य प्रदेश	डा. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश- 470003।
28		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, मक्का सदन, अमरकंटक, मध्य प्रदेश- 484886
29	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, पोस्ट- हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा - 442 005, महाराष्ट्र
30	मणिपुर	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इरोइसेम्बा, इंफाल, मणिपुर –795004
31		मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर, उत्तर पूर्व, इंफाल - 795003, मणिपुर
32		राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, कोट्रुक, मणिपुर-795146
33	मिजोरम	मिजोरम यूनिवर्सिटी, पोस्ट बॉक्स नं. 910, आइजोल - 796 012, मिजोरम
34	मेघालय	नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, NEHU कैंपस, शिलांग, मेघालय - 793022
35	नगालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय, परिसर कोहिमा - 797 001, मुख्यालय लुमानी, नागालैंड
36	ओडिशा	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, सेंट्रल सिल्क बोर्ड बिल्डिंग, लैंडिगुडा, कोरापुट-764020
37	पांडिचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, आर. वेंकटरमन नगर, कलापेट, पुडुचेरी- 605014
38	पंजाब	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सिटी कैंपस, मनसा रोड, बठिंडा - 151001, पंजाब

39	राजस्थान	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, एनएच-8, बंदर सिंदरी, जिला-अजमेर-305801, राजस्थान
40	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय, 6 माइल, समदुर, पी.ओ. ताडोंग, गंगटोक, सिक्किम-737102
41	तमिलनाडु	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, नीलकुडी कैंपस, कंगालनचेरी (पोस्ट), तिरुवरुर -610101
42		भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, ईस्ट कोस्ट रोड, उथंडी, चेन्नई - 600119
43	तेलंगाना	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर, हैदराबाद, तेलंगाना- 500007
44		मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, गाचीबोवली, हैदराबाद, तेलंगाना- 500032
45		हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना- 500046
46	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर, अगरतला, त्रिपुरा –799130
47	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल - 246174
48	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, यू.पी. - 202002।
49		बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ, यूपी-226025।
50		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, यू.पी. - 221005।
51		इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, यू.पी. - 211002।
52		राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय, फुर्सतगंज, डीटी, रायबरेली, उ.प्र.
53		रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, NH-75, पहुज बांध के पास, ग्वालियर रोड, झांसी, यूपी-

54	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल - 731235।

ढ. राज्य एसएंडटी परिषदें

1	एपी स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आंध्र प्रदेश
2	असम विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद, असम
3	बिहार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, पटना
4	छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, छत्तीसगढ़
5	गोवा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बर्देज़
6	गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गांधीनगर
7	हरियाणा स्टेट एसएंडटी काउंसिल, पंचकुला/
8	एसटी एंड ई के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य परिषद, शिमला
9	जम्मू और कश्मीर राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, जम्मू
10	झारखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, रांची
11	कर्नाटक स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बैंगलोर
12	केरल स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तिरुवनंतपुरम
13	मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल
14	महाराष्ट्र राजीव गांधी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग, मुंबई
15	मणिपुर विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, इंफाल
16	स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, शिलांग
17	मिजोरम विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, आइज़ोल
18	राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, नागालैंड

19	विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, भुवनेश्वर, उड़ीसा
20	पंजाब राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद, चंडीगढ़
21	राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जयपुर
22	सिक्किम स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गंगटोक
23	तमिलनाडु स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई
24	त्रिपुरा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगरतला
25	तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद
26	विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
27	उत्तरांचल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, देहरादून
28	पश्चिम बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोलकाता
29	अंडमान और निकोबार विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, पोर्ट ब्लेयर
30	विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सिलवासा, दादरा और नगर हवेली
31	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, दमन और दीव
32	पर्यावरण विभाग, दिल्ली एनसीटी सरकार
33	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, कवारत्ती, लक्षद्वीप
34	पुडुचेरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, पुडुचेरी

Department of Science & Technology
Ministry of Science & Technology
Technology Bhawan, New Mehrauli Road
New Delhi – 110016, INDIA

Printed at: Western Printing Group, Survey of India